

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैथल जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम:- नरेन्द्र कुमार मीना (आर० ए० एस०)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 37/2022

दायर दिनांक:- 27-06-2022

निर्णय दिनांक:- 05-10-2023

उनवान

नवलकिशोर पुत्र नन्दाराम जाति गुर्जर निवासी सींगपुरा तहसील सैथल जिला दौसा राजस्थान

—(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सैथल जिला दौसा।

—(अप्रार्थी)

उपस्थिति :- 1-श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता—(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अं० धारा 128 एल आर एक्ट
सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय

दिनांक 05-10-2023

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम सींगपुरा तहसील सैथल का रहने वाला है। ग्राम सींगपुरा तहसील सैथल जिला दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 55/12 रकबा 1.00 है० स्थित है उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से है। जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। इस पर प्रार्थी काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी अराजियात का विधिवत रूप से दिनांक 09.06.2022 को सीमाज्ञान भी करा लिया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। इसके बावजूद भी आस पास के पडौसी काश्तकारान आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न करते हैं। काश्त का वक्त नजदीक है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की वास्तविक पैमाइस करा कर पत्थरगढी कराना चाहता है। तहसीलदार सैथल को आदेश फरमाया जावे की वो राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से उक्त भूमि की वास्तविक पैमाइस कर भूमि के चारो तरफ सीमाओं पर पत्थरगढी के निशान कायम कर पत्थर गाढे ताकि कोई सीमाओं सम्बन्धि विवाद ना रहे। न्यायालय श्रीमान को धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पत्थरगढी के आदेश देने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।



उपजिल्हा अधिकारी
सैथल जिला दौसा (राज.)

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 55/12 रकबा 1.00 है० स्थित वाके ग्राम सींगपुरा तहसील सैथल जिला दौसा के संबंध में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15-06-2023 पत्र क्रमांक न्याय/2023/256 पेश की गई। जिसके अनुसार तहसीलदार सैथल ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 प्रार्थी ग्राम सींगपुरा तहसील सैथल का रहने वाला है जो सही है, तथा चरण संख्या 2 मुताबिक जमाबन्दी अनुसार ग्राम सींगपुरा में स्थित खसरा नं० 55/12 रकबा 1.00 है० नवलकिशोर पुत्र नन्दाराम हि० पूर्ण जाति गूजर सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है व स्वयं काबिज है जो कि सही है तथा चरण संख्या 3 प्रार्थी स्वयं साबित करे, चरण संख्या 4 व 5 श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का आधोपान्त अध्ययन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैथल को आदेश दिये जाते हैं कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 55/12 रकबा 1.00 है० स्थित वाके ग्राम सींगपुरा तहसील सैथल जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियों/गिरदावरो की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारो को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्मलाया जावे अगर पुलिस जाब्त की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सैथल को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



नरेन्द्र कुमार मीना (आर० ए० एस०)

उप जिला कलक्टर

सैथल दौसा।

सैथल जिला दौसा (राज.)